राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	1733/2022	अरविन्द सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. मुख्य अभियंता (प्रशासन), जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल भवन, जयपुर।
2.	1734/2022	बलवीर प्रसाद त्यागी	
3.	2843/2022	रवि भार्गव	

आदेश की दिनांक : 18.02.2025

उपस्थित –

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री धर्मचन्द जैन, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त तालिका में अंकित अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपीलों में चुनौती का आधार एवं तथ्यात्मक स्थिति समान होने से, न्यायहित में **अपील संख्या 1733/2022, अरविन्द सिंह** की अपील को अग्रग अपील मानते हुए, उक्त तीनों अपीलों को एक ही आदेश से निस्तारित किया जा रहा है।

2. यह अपील, अपीलार्थी द्वारा पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 10.10.2019 (अनुलग्नक–10) से व्यथित होकर पेश की है, जिसमें प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2017–18 के लिए सहायक अभियंता के पद पर अपीलार्थी को पदोन्नति का पात्र नहीं माना गया।

3. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति मिस्त्री ग्रेड प्रथम के पद पर हुई। राज्य सरकार द्वारा 1200–2050 की वेतन श्रृखला को ''वेतन समता समिति'' के द्वारा संस्तुति के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान (संशोधित) नियम, 1993 के अनुसार वेतन श्रृखला (संशोधित) 1400–2600 में संशोधित की गई, परन्तु उक्त संशोधित वेतन श्रृंखला का परिलाभ अपीलार्थी को प्रदान करने से पहले ही अपीलार्थी को मिस्त्री ग्रेड प्रथम के पद पर वर्ष 1995 में विशिष्ट योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अधिशेष घोषित कर दिया गया। वर्ष 1995 में अधिशेष घोषित होने के पश्चात् जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में वर्ष 1996 में पदनाम

बदलते हुए फोरमेन ग्रेड द्वितीय समान वेतन श्रृंखला 1200–2050 में विलय किया गया। तत्पश्चात् अपीलार्थी एवं अन्य कार्मिकों ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ में याचिका संख्या 557/1997 इस आशय से प्रस्तुत की कि अपीलार्थीगणों की वेतन श्रृंखला 1400–2600 में अभिनिर्धारित की जाए।

4. उसका अभिकथन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या–557/1997 में पारित निर्णय दिनांक 01.09.2009 एवं राज्य सरकार द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (रिट) संख्या 559/2011 में पारित निर्णय दिनांक 06.09.2011 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दायर अपील SLP 3500/2012 दिनांक 17.02.2012 को खारिज किए जाने पर अपीलार्थी को फोरमैन ग्रेड प्रथम के पद की वेतन श्रृंखला 1400–2600 में दिनांक 01.07.1998 से वेतन निर्धारित किया गया।

5. अपीलार्थी का यह भी कथन है कि जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 21.11.2012 (अनुलग्नक–1) से विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा पर फोरमैन ग्रेड–II से फोरमैन ग्रेड– I के पद पर पदोन्नति आदेश जारी किये गये जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 21 पर अंकित कर वर्ष 2010–11 चयन वर्ष के तौर पर आवंटित किया गया। तत्पश्चात विभाग द्वारा आदेश दिनांक 17.08.2015 (अनुलग्नक–4) से विभाग में कार्यरत फोरमैन ग्रेड–I की वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 114 पर अंकित किया गया, जबकि अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को ऊपर रखा गया। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्ययधीन अपीलार्थी वर्ष 1996–97 से ही फोरमैन ग्रेड–I के पद पर कार्य कर रहा है। उसका कथन है कि उसको फोरमैन ग्रेड–I संवर्ग में कनिष्ठ कार्मिकों से वरिष्ठता प्रदान करते हुए, वरिष्ठता सूची में उसे उपयुक्त स्थान पर रखते हुए वरिष्ठता सूची जारी की जानी चाहिए। अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही विवरण दिनांक 10.10.2019 (अनुलग्नक–10) को अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश पारित करे कि अपीलार्थी को उसके आमेलन वर्ष 1996 से ही फोरमेन ग्रेड–प्रथम मानकर वरिष्ठता सूची में उपयुक्त स्थान पर रखते हुए वरिष्ठता सूची जारी की जावे और उसी अनुरूप अपीलार्थी को वर्ष

2016–17 में फोरमेन ग्रेड–प्रथम से सहायक अभियंता के पद पर अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2016–17 से सहायक अभियंता के रिक्त पद पर उससे कनिष्ठ को दी गयी पदोन्नति के अनुरूप, पदोन्नत करते हुए तदनुसार देय परिलाभ स्वीकृत फरमावें।

6. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सूना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अवलोकन कर परिशीलन किया।

7. प्रस्तुत अपील में मुख्य विवाद का बिन्दु अपीलार्थीगण को बायो गैस मिस्त्री–I के पद पर देय वेतन श्रृंखला तथा अधिशेष कर्मचारियों के आमेलन नियम, 1969 के अंतर्गत विशिष्ट योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग से अधिशेष घोषित होने पर वर्ष 1996 में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में फोरमैन प्रथम के पद पर समायोजन तथा आमेलन के समय देय वेतन श्रृंखला का रहा है। इस संबंध में अपीलार्थीगण एवं अन्य लोगों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर में दायर एस.बी.सी रिट पीटिशन संख्या 557/1997 तथा एस.बी.सी. रिट पीटिशन संख्या 5390/1995 व एस.बी.सी. रिट पीटिशन संख्या 1156/1997 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.09.2009 महत्वपूर्ण हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णायक भाग निम्न प्रकार है :–

> *"In the result, these writ petitions are allowed. The impugned orders dated 9.11.1995, 10.11.1995, 20.11.1995 and 22.11.1995 are quashed and set aside. The petitioners are held entitled to receive salary in the pay scale of Rs.1400-2600/- w.e.f. 1.9.1988 and they are further held entitled to such salary in that pay scale throughout or in the corresponding pay scale in the subsequent Revised pay Scale Rules. Since the recovery orders have in these cases remain stayed pursuant to stay order passed by this court, such recovery order would stand quashed. Petitioners are also entitled to receive selection scale from the date of their absorption/substantive appointment in the absorbing department in terms of Government circular dated 25.1.1992/ 17.2.1998."*

8. यहां यह भी तथ्य है कि उक्त आदेश को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जरिये डी.बी. सिविल स्पेशल रिट पीटिशन संख्या 169/2010 एवं 559/2011 से माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर में चुनौती दी गई जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 06.09.2011 द्वारा एकलपीठ के निर्णय को यथावत रखते हुए यह आदेश दिया कि :–

> "In that view of the matter, we do not find any illegality or infirmity in the said order passed by the learned Single Judge. The appeals being devoid of merits deserve to be dismissed and are accordingly dismissed."".....

9. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा पारित पूर्वोक्त निर्णय दिनांक 06.09.2011 के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में एस.एल. पी संख्या 3500/2012 प्रस्तुत कर चुनौती दी गई, जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 17.02.2012 को खारिज कर दी गई।

10. स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.09.2009 के अनुसार फोरमैन प्रथम की वेतन श्रृंखला 1400–2600 दिनांक 01.09.1988 से ही देय होगी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा यह अपने जबाव में स्वीकार भी किया गया है कि अपीलार्थीगण को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार इस वेतन श्रृंखला एवं तत्पश्चात् तद्नुसार संशोधित वेतनमान प्रदान कर दिया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय में डी.बी.अपील संख्या 169/2010 तथा 559/2011 प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दायर की गई थी जो आदेश दिनांक 06.09.2011 से अपास्त की गई तथा एस.बी का आदेश दिनांक 01.09.2009 को यथावत रखा गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में दी गई चुनौती (SLP-3500/12) भी दिनांक 17.02.2012 को खारिज हुई। परिणाम स्वरूप अपीलार्थीगण दिनांक 01.09.1988 से ही फोरमैन प्रथम की वेतन श्रृंखला 1400–2600 एवं पश्चातवर्ती Corresponding वेतन श्रृंखला प्राप्त करने का अधिकारी है।

11. अपील में चाहा गया दूसरा अनुतोष वरिष्ठता के सही निर्धारण व तद्नुसार पदोन्नति का है। इस संबंध में राजस्थान सिविल सेवाएं (अधिशेष कर्मचारी आमेलन) नियम, 1969 के नियम 15(I)(III) अवलोकनीय है। जो इस प्रकार है कि:–

> **"Seniority.** -- (i) The seniority of a surplus employee appointed substantively to a permanent post in the service or cadre in which he is absorbed shall be determined by the appointing authority concerned by placing him below the junior most permanent employee of the new service or department who has a longer period of continuous substantive service on the post compared to the continuous substantive service of the surplus employee on equivalent or higher post. The seniority of a surplus employee on equivalent or higher post. The seniority of a surplus

> employee who is absorbed on a higher post on officiating basis shall be determined only in respect of his permanent post;
> (iii) The seniority inter-se of employees declared srplus from a service or cadre shall on their appointment to new posts in another service or cadre shall be the same as it existed in the former service or cadre."

12. उपर्युक्त प्रावधानुसार यह स्पष्ट है कि अधिशेष कर्मचारियों के संबंध में आमेलित विभाग में उनकी वरिष्ठता आमेलन से पूर्व पैतृक विभाग में उसी संवर्ग में नियुक्त कार्मिकों में अपीलार्थी की वरिष्ठता के अनुरूप ही निर्धारित होगी। साथ ही आमेलित विभाग में पूर्व में उस संवर्ग में कार्यरत कार्मिकों के संदर्भ में 1969 के पूर्वोक्त नियम 15(I) के अनुरूप निर्धारित होगी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा फोरमैन प्रथम के पद पर कार्यरत कार्मिकों की जारी वरिष्ठता सूची दिनांक 17.08.2015 (अनुलग्नक–4) में अपीलार्थीगण को क्रम संख्या 110 पर वरिष्ठता प्रदान की गई, जबकि अपीलार्थीगण को पूर्व पैतृक विभाग विशिष्ट योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी अस्थाई वरिष्ठता सूची दिनांक 18.04.1987 (अनुलग्नक–3) में अपीलार्थीगण का नाम क्रम संख्या 17 पर व अनुलग्नक–4 में अंकित क्रम संख्या 99 से 102 के कार्मिकों के नाम उससे कनिष्ठ क्रम संख्या 43,44,49 एवं 50 पर अंकित हैं। वरिष्ठता आदेश दिनांक 17.08.2015 (अनुलग्नक–4) में अपीलार्थीगण को फोरमैन प्रथम के पद पर चयन वर्ष 2010–11 में तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है, क्योंकि पूर्व विश्लेषण में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि अपीलार्थीगण को वर्ष 1997 में आमेलन के समय (दिनांक 01.09.1988 से प्रभावी) वेतन श्रृंखला 1400–2600 माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दी गई है जो फोरमैन–I की है। यह तथ्य है कि अपीलार्थीगण के आमेलन के समय वह वेतन श्रृंखला 1200–2050 में वेतन प्राप्त कर रहा था जो आमेलित विभाग में फोरमैन द्वितीय के समकक्ष होने से उसे फोरमैन–द्वितीय के पद पर समायोजित किया गया परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अपीलार्थीगण को वेतन श्रृंखला 1400–2600 का लाभ दिनांक 01.09.1988 से दिया गया है। आमेलित विभाग में यह वेतन श्रृंखला फोरमैन–प्रथम के पद की होने से अपीलार्थीगण को आमेलन के समय फोरमैन द्वितीय के पद पर समायोजन करना प्रत्यर्थी विभाग की भूल है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.09.2009 एवं डी.बी आदेश दिनांक 09.06.2011 के अनुसरण में अपीलार्थीगण को पैतृक विभाग में

उससे कनिष्ठ मिस्त्रियों, जिनका आमेलन प्रत्यर्थी विभाग में अपीलार्थीगण के पश्चात् हुआ है, के संबंध में फोरमैन प्रथम की वरिष्ठता के अनुसार आमेलन के समय कार्यरत अन्य फोरमैन–प्रथम के संबंध में वरिष्ठता का निर्धारण आमेलन नियम, 1969 के नियम 15(III) के अनुरूप ही निर्धारित की जायें।

13. उपर्युक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण को आमेलन के समय फोरमैन प्रथम संवर्ग का मानते हुए, नियमानुसार आमेलन नियम, 1969 के प्रावधानानुसार फोरमैन प्रथम के पद पर वरिष्ठता प्रदान करते हुए विभागीय नियमों के अन्तर्गत सहायक अभियंता या अन्य उच्चतर पद पर पदोन्नति उसकी पात्रतानुसार लाभ प्रदान किया जावे तथा तद्नुसार वेतन स्थिरीकरण व अन्य सेवा एवं सेवानैवृत्तिक परिलाभ प्रदान किये जावें। इस आदेश की पालना तीन माह में की जावें।

14. आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 1733/2022 में एवं छाया प्रतियां अन्य अपीलों में संलग्न की जावे

15. आदेश आज दिनांक 18.02.2025 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर, मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर, उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)